न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :–स्वाति गुप्ताआर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–197/2023

1. परिक्षित चौधरी पुत्र सुरेश कुमार जाति जाट निवासी पीरकामडिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

—— वादी

बनाम

1. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. सुरेश कुमार पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी पीरकामडिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ राज0।
3. अनिता पत्नी सुरेश कुमार जाति जाट निवासी पीरकामडिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ राज0।

—— प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए.बाबत घोषणा

उपस्थित अभिभाषकगण

1. श्री महैश कुमार गौड.	वादी
2. राज पैरोकार	प्रतिवादी संख्या 1
3. सुनिल कुमार	प्रतिवादी संख्या 2 ता 3

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी (राज.) टिब्बी)

निर्णय दिनांक :–27.03.2024

वादी परिक्षित चौधरी पुत्र सुरेश कुमार जाति जाट निवासी पीरकामडिया तहसील टिब्बी द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए.के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक नम्बर 9 एफ.टी.पी. की जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 के खाता संख्या 52/48 में कुल 0.506 है0 भूमि, चक 12 एफटीपी बी के खाता संख्या 57/133 में कुल 3.542 है0 भूमि, चक न0 21 एनजीसी के खाता संख्या 52/22 में कुल 0.253 है0 भूमि चक न0 20 एनजीसी के खाता संख्या 62/29 में कुल 0.759 है0 भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, जमाबंदी सलंग्न है, जिसमें वादी का नाम परिक्षित पुत्र सुरेश कुमार जाति जाट नाम दर्ज है। नकल जमाबन्दी संलग्न वाद–पत्र है।

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी)

वादी का नाम परिक्षित चौधरी है। वादी के कागजात आधार कार्ड, राशनकार्ड, जन आधार कार्ड पैन कार्ड आदि में वादी का सही नाम परिक्षित चौधरी अंकित है। वादी परिक्षित चौधरी नाम से जाना जाता है, जिस कारण से राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम परिक्षित अंकित हो गया जबकि वादी का सही नाम परिक्षित चौधरी है। वादी के आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, जनआधार कार्ड व पैन कार्ड संलग्न वाद पत्र है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:17:52 IST
Reason: SelfAttested

वादी का नाम वाद पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी में परिक्षित दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है चक नम्बर 9 एफ.टी.पी. की

Scanned with CamScanner

जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 के खाता संख्या 52/48 में कुल 0.506 है0 भूमि, चक 12 एफटीपी बी के खाता संख्या 57/133 में कुल 3.542 है0 भूमि, चक न0 21 एनजीसी के खाता संख्या 52/22 में कुल 0.253 है0 भूमि चक न0 20 एनजीसी के खाता संख्या 62/29 में कुल 0.759 है0 जमाबंदी में अंकित वादी का नाम परिक्षित के स्थान पर सही नाम परिक्षित चौधरी अंकित किये जाने का अनुतोष चाहा है।

वादी ने प्रतिवादी को आज से एक सप्ताह पूर्व निवेदन किया कि वाद पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी में वादी का नाम दुरूस्त कर परिक्षित के स्थान पर सही नाम परिक्षित चौधरी नाम अंकित करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादी ने सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने को कहा। बस यही बिनाय दावा है।

वादी का वाद पूर्ण कोर्टफीस पर तहरीर है व अन्दर मियाद तथा काबिल समायत अदालत हाजा के है। लिहाजा वाद पेश कर निवेदन है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

(क.) घोषित किया जावे कि चक नम्बर चक नम्बर 9 एफ.टी.पी. की जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 के खाता संख्या 52/48 में कुल 0.506 है0 भूमि, चक 12 एफटीपी बी के खाता संख्या 57/133 में कुल 3.542 है0 भूमि, चक न0 21 एनजीसी के खाता संख्या 52/22 में कुल 0.253 है0 भूमि चक न0 20 एनजीसी के खाता संख्या 62/29 में कुल 0.759 है0 में अंकित वादी का नाम परिक्षित के स्थान पर परिक्षित चौधरी अंकित कर दुरूस्ती की जावे।

(ख.) अन्य कोई अनुतोष बहक वादी हो तो अता फरमावे

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर सरिश्ता की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की और से राज पैरोकार द्वारा जबाबदावा प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि वादी द्वारा साक्ष्य एवम् दस्तावेज से वाद पत्र को सिद्ध करना है। प्रतिवादी संख्या 02 व 03 की तरफ से जवाबदाव प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है वाद पत्र के वाद को डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई उज्र ऐतराज नही है। वादी द्वारा दस्तावेजात प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादी का सही नाम परिक्षित चौधरी है जबकि वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में परिक्षित दर्ज है।

वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र के सलंग्न दस्तावेजात आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन [illegible] द्वारा जारी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाकर वाद–पत्र में वर्णित [illegible] को प्रदर्शित करवाया तथा शपथ पत्र/हलफनामा प्रस्तुत किया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि परिक्षित व परिक्षित चौधरी दोनों नाम का एक ही अस्तित्व है। [illegible] भिन्नता के सम्बंध में कोई तथ्य असत्य पाया जाता है, तो उसकी समस्त जिम्मेवारी वादी की होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:17:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रकरण में उभयपक्ष की समायत बहस सुनी गई बहस पर मनन किया जाकर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया बाद अवलोकन वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया गया।

क्रियात्मक आदेश

उभयपक्ष की समायत बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किये जानें पर वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाये जानें से वाद वादी स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत तहसील टिब्बी के चक चक नम्बर 9 एफ.टी.पी. की जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 के खाता संख्या 52/48 में कुल 0.506 है0 भूमि, चक 12 एफटीपी बी के खाता संख्या 57/133 में कुल 3.542 है0 भूमि, चक न0 21 एनजीसी के खाता संख्या 52/22 में कुल 0.253 है0 भूमि चक न0 20 एनजीसी के खाता संख्या 62/29 में कुल 0.759 है0 में अंकित वादी का नाम परिक्षित के स्थान पर दुरुस्ती कर परिक्षित चौधरी किया जाकर राजस्व अभिलेख को दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 27.03.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
सहायक कलक्टर
टिब्बी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:17:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :– स्वाति गुप्ता आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–197 / 2023

1. परिक्षित चौधरी पुत्र सुरेश कुमार जाति जाट निवासी पीरकामडिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

— — वादी

बनाम

2. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. सुरेश कुमार पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी पीरकामडिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ राज0।
4. अनिता पत्नी सुरेश कुमार जाति जाट निवासी पीरकामडिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ राज0।

— — प्रतिवादी

प्रतिवादी

अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

निर्णय दिनांक :– 27.03.2024

वादी की ओर से श्री महेश कुमार गौड अधिवक्ता, प्रतिवादी की और से राजपैरोकार व प्रतिवादीगण 2 ता 3 की और से सुनिल कुमार अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक 27.03.2024 को स्वाति गुप्ता आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर अन्तिम डिक्री की जाती है, कि वादी एवम् प्रतिवादी के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दरतावेजात का अवलोकन के बाद प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये जबाब दावा मय पटवार हल्का गुडिया रिपोर्ट के अनुसार वाद पत्र स्वीकार योग्य पाये जानें [illegible] कारतकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद [illegible] एफटी.पी. की जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 के खाता संख्या 52 / 48 में कुल 0.506 है0 भूमि, चक 12 एफटीपी बी के खाता संख्या 57 / 133 में कुल 3.542 है0 भूमि, चक न0 21 एनजीसी के खाता संख्या 52 / 22 में कुल 0.253 है0 भूमि चक न0 20 एनजीसी के खाता संख्या 62 / 29

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:17:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

Scanned with CamScanner

में कुल 0.759 है0 में अंकित वादी का नाम परिक्षित के स्थान पर दुरूस्ती कर परिक्षित चौधरी किया जाकर राजस्व अभिलेख को दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 27.03.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राज.) टिब्बी)

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

(उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	—	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	—
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	—	अर्जी के लिये स्टाम्प	—
प्रदर्शो के लिये स्टाम्प	—	प्लीडर की फीस	—
.... रूपये पर प्लीडर की फीस	—	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	—
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	—	आदेशिका की तामिल	—
कमिश्नर की फीस	—	कमिश्नर की फीस	—
आदेशिका की तामिल	—		
योग	—	योग	—

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:17:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner